संख्या-15/2021/648/86-2021-03(बजट)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2021

विषयः-अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक- ''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र संख्या-021/ए-4/2021, दिनांक 07.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग'' के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रु0 5999.55 लाख (रु0 उनसठ करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार-मात्र) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सम्बन्धित मद पर ही किया जायेगा एवं किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय स्वीकृत किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग'' से संबन्धित योजनाओं की सुसंगत इकाइयों व मदों, जिनका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक में दिया गया है, के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः 648(1)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय ,125 जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-648/86-2021-03(बजट)/2020, दिनांक 13.04.2021 का संलग्नक अनुदान संख्या-004 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक वित्तीय वर्ष 2021-2022

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मदें	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 02-खानों का विनियमन तथा विकास 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- खनन प्रशासन की योजना	
01-वेतन	1350.00
02-मजदूरी	390.00
03-मंहगाई भत्ता	405.00
04-यात्रा व्यय	3.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	0.20
07-मानदेय	0.25
08-कार्यालय व्यय	2.50
09-विद्युत देय	13.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.80
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	30.00
18-प्रकाशन	10.00
29-अनुरक्षण	7.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.50
49-चिकित्सा व्यय	13.00
51-वर्दी व्यय	0.50
55-मकान किराया भत्ता	85.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	120.00
योगः- 001 (03) मतदेय	2652.75 (रूपये छब्बीस करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-648/86-2021-03(बजट)/2020, दिनांक 13.04.2021 का संलग्नक अनुदान संख्या-004 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक वित्तीय वर्ष 2021-2022

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मदें	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 02-खानों का विनियमन तथा विकास 004-अनुसंधान तथा विकास 03-खनिज अन्वेषण	
01-वेतन	1962.15
02-मजदूरी	30.00
03-मंहगाई भत्ता	588.65
04-यात्रा व्यय	15.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	0.25
08-कार्यालय व्यय	6.00
09-विद्युत देय	33.00
10-जलकर/जल प्रभार	20.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2.65
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	20.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.75
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00
49-चिकित्सा व्यय	25.00
51-वर्दी व्यय	1.00
55-मकान किराया भत्ता	128.85
योगः- 004(03) मतदेय	**2866.80**
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
13- टेलीफोन पर व्यय	5.00
42-अन्य व्यय	20.00
योग 06	**75.00**
योग 2853 001(03)+004(03+06)	**5594.55** **(रूपये पचपन करोड़ चैरानबे लाख पचपन हजार मात्र)**

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in